

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक ०७ / ०४ / २०१५

संख्या-३/टी-०१-०१/२०१४(पार्ट-१)- १२०(३) /स्वा०, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के डा० आजाद हिन्द प्रसाद, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) को प्रशासनिक दृष्टिकोण से असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) के पद से स्थानांतरित करते हुए स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय), बिहार, पटना में योगदान करने हेतु निदेश दिया जाता है।

संख्या-३/टी-०१-०१/२०१४(पार्ट-१)- १२१(३) /स्वा०, राज्य स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के डा० शैलेन्द्र नारायण, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) का अतिरिक्त प्रभार (वित्तीय शक्तियों सहित) सौंपा जाता है। डा० नारायण को निदेश दिया जाता है कि वे अविलम्ब असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) का प्रभार ग्रहण कर असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा (बिहारशरीफ) के सभी दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

(स्वयम्भू प्रिय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-३/टी०-०१-०१/२०१४(पार्ट-१)- १२०(३) एवं १२१(३) /पटना, दिनांक ०७ / ०४ / २०१५

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सचिव-सह-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, सम्बंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव /माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-१,२,३,४,७,८,९,१०,११ एवं १७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव